

तारीख	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू मुकदमा नं. 146/2014 उनवान चन्द्रावली बनाम दजकी देवी वनैरह प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी
-------	---	---

05/2018 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली का न्यायालय मत पर अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र से संबंधित मूल वाद में पक्षकारों के मध्य हक हिस्सा तय होना है। इसलिए विचाराधीन प्रकरण में कोई पेचिदगिया उत्पन्न न हो, को दृष्टिगत रखते हुए दोनों पक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थना-पत्र में वर्णित विवादित भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु दोनों पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से ता: फौसला दावा तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के संलग्न होकर दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
 (अलका विश्वा) 14/05/2018

(अलका विश्वा)
 उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू